रंजुला भारती
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सहरसा।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,सहरसा

सत्रवाद संख्या–126 / 2006
1687 / 2014

1. राज्य (द्वारा झिंगर राम).....अभियोजन पक्ष

बनाम

1. मजीद मियां पिता–वुरन मियां,
साकिन–टेकनमा, थाना–सौरबाजार,
जिला–सहरसा .....अभियुक्त

अभियोजन की ओर से :– श्रीमति उषा मेहता,
विद्वान अपर लोक अभियोजक
बचाव पक्ष की ओर से :– श्री श्रीमति श्रुति लता, विद्वान धिवक्ता

सहरसा,दिनांक–12वीं मार्च 2026

उपस्थितः– रंजुला भारती
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सहरसा।

आदेश

12.03.2026

अभियुक्त की ओर से हाजरी दी गयी। पुकार पर अभियुक्त अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह केस वर्ष 1994 का दर्ज कराया गया। अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक–13.6.2011 को आरोप का गठन किया गया एवं तब से लेकर आज तक अभियोजन द्वारा किसी प्रकार का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतएव, द.प्र.स. की धारा–332 का लाभ देते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाय।

अभियोजन द्वारा इनके कथन का विरोध किया गया।

उभय पक्ष को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि यह केस दिनांक–14.02.1994 की घटना को लेकर अभियुक्त के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी। दिनांक–21.12.2010 को धारा–323,436,504 एवं 452 / 34 भा.द.वि. तथा 2 / 3 एस.सी. / एस.टी.अधि.

रंजुला भारती
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सहरसा।

:

सत्रवाद संख्या–126 / 2006

1687 / 2014

–लगातार–

12.03.2026

` के अंतर्गत संज्ञान लेते हुए विशेष न्यायालय को दौरा सुपूर्द किया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक–13.6.2011 को अंतर्गत धारा–323 / 34, 504 / 34, 452 / 34, 436 / 34, भा.द.वि. एवं धारा–3()(v) एस.सी / एस.टी.अधि. के तहत आरोप का गठन किया गया। तत्पश्चात अभियोजन साक्ष्य हेतु अभिलेख निर्धारित किया गया। तब से लेकर आज तक अभियोजन द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। दिनांक–10.03.2026 को इन्हें साक्ष्य लाने हेतु अंतिम अवसर दिया गया लेकिन अभियोजन द्वारा साक्ष्य आज की तिथि में भी प्रस्तुत नहीं किया गया न ही साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने का कोई युक्तियुक्त कारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विदित हो कि यह केस करीब 32 वर्ष पुराना है एवं अभियोजन को करीब 16 वर्षो की लंबी अवधि साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु दिया गया, साथ ही अत्यंत पुराना केस होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार इसे दिन प्रतिदिन साक्ष्य हेतु रखा गया। इन सबके बावजूद अभियोजन द्वारा आज तक किसी साक्षी का साक्ष्य नहीं कराया गया और न ही इसका कोई स्पष्ट कारण बताया गया। ऐसी स्थिति में केस को लंबित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

तदनुसार, आवेदक / अभियुक्त मजीद मियां को साक्ष्य के अभाव में उक्त तथ्यों, परिस्थितियों के आलोक में धारा–232 द.प्र.स. के तहत इस केस से दोषमुक्त किया जाता है एवं इन्हें बंधपत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम